

कार्यालय प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कॉलेज, सहारनपुर।

संख्या-रा0मे0का0स0/विज्ञप्ति-संविदा चि0शि0/2026/ई0सी0-1/352

दिनांक-18.09.2026

संविदा के आधार पर आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य एवं सीनियर रेजीडेन्ट के रिक्त पदों पर साक्षात्कार (वाक-इन-इन्टरव्यू) हेतु विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या-4661/71-1-08-जी-63/2008 दिनांक 15.12.2008 एवं तत्क्रम में जारी अन्य शासनादेशों के अनुपालन में एन0एम0सी0 मानकों की पूर्ति हेतु राजकीय मेडिकल कॉलेज, सहारनपुर में रिक्त आचार्य, सह-आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु आवेदन पत्र एतद्वारा आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त पदों पर दिनांक **21.09.2026 (सोमवार)** को तथा उसके पश्चात रिक्तियाँ पूर्ण होने तक **प्रत्येक सप्ताह में सोमवार** (राजकीय अवकाश होने की दशा में आगामी दिवस) को साक्षात्कार आयोजित किये जायेंगे। इन पदों पर साक्षात्कार (Walk-in-Interview) के माध्यम से चयन समिति की संस्तुति के आधार पर चयन किया जाना है। इच्छुक अभ्यर्थियों से अपेक्षा है बकि वह उक्त पदों पर साक्षात्कार हेतु राजकीय मेडिकल कॉलेज, सहारनपुर के **काउंसिल हॉल, प्रशासनिक भवन में प्रातः 11:00 बजे** उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उ0प्र0 शासन कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-5/2019/4/1/2002/का-2/2019 टी.सी.1 लखनऊ दिनांक 13 अगस्त, 2019 के द्वारा 100 प्वाइंट रोस्टर के अनुसार रिक्त पदों का विवरण विभागवार निम्नवत् है:-

Sl. No.	Speciality	Vacant Post details (as per 100 point roster by Govt. of UP)																
		Professor				Associate Professor				Assistant Professor					Senior Resident			
		S.C.	GEN	OBC	EWS	S.C.	GEN	OBC	EWS	S.C.	GEN	OBC	EWS	ST	S.C.	GEN	OBC	EWS
1-	Orthopaedics	0	0	01	0	0	0	0	0	0	0	01	0	0	0	0	0	0
2-	Ophthalmology	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	0	0	0	0	0
3-	Obstetrics & Gynaecology	0	0	0	0	01	0	0	0	0	01	01	0	0	0	0	0	0
4-	Emergency Medicine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	0	0	0	0	0	0
5-	Anatomy	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01*	0	0
6-	Anaesthesia	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	0	0	0	0	0	01	0
7-	Oto-Rhino laryngology (ENT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	0	0	0	0	0
8-	Community Medicine	0	0	0	0	01	0	0	0	01	01	0	0	0	0	0	0	0
9-	General Medicine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	01	0	01	01	01	0
10-	General Surgery	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	01	0	0	0	01	01	0
11-	Tuberculosis and Respiratory Medicine/ Pulmonary Medicine	0	01	0	0	0	0	0	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0
12-	Dermatology, venereology & Leprosy	0	0	0	0	0	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-	Paediatrics	0	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-	Pharmacology	0	0	0	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-	Physiology	0	01*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-	Forensic Medicine	0	0	01	0	0	0	0	0	01	0	0	0	0	01	0	0	0
17-	Biochemistry	0	01*	0	0	0	0	0	0	0	01*	0	0	0	0	0	0	0
18-	Microbiology	0	0	01*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19-	Radio diagnosis	01	0	0	0	0	0	01	0	0	01	0	0	0	01	0	0	0
20-	Psychiatry	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	0	0	0	0	0	0	0
	Total	01	05	04	01	02	0	02	0	05	06	06	01	0	03	03	03	0

* तारांकित विशिष्टताओं (एनॉटमी, फिजियोलोजी, बायोकेमिस्ट्री एवं माइक्रोबायोलोजी) में केवल एम0डी0 अर्हताधारक अभ्यर्थी को ही वरियता दी जायेगी।

संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत् हैं-

- शासनादेश संख्या-109/2024/176/71-1- 2024/71-1001/804/2020 दिनांक 18 जुलाई, 2024 के अनुसार संविदा पर नियुक्त किये जाने वाले आचार्य को पुनर्निर्धारित नियत मानदेय रु 2,20,000/-, सह-आचार्य को- रु 1,60,000/-, सहायक आचार्य को रु 1,20,000/- तथा सीनियर रेजीडेन्ट को पे मैट्रिक्स-11(1) रु 67700-208700 (ग्रेड पे-6600) के अनुसार प्रतिमाह वेतन देय होगा। वेतन के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जाएगा। सेवा शर्तों विषयक विवरण महानिदेशालय एवं कॉलेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। आवेदक को एन0एम0सी0 द्वारा निर्गत **TEACHERS ELIGIBILITY QUALIFICATIONS IN MEDICAL INSTITUTIONS REGULATIONS, 2025** के अनुसार निर्धारित शैक्षिक अहर्तायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त चयनित अभ्यर्थी अन्य किसी भी प्रकार के भत्तों, बोनस एवं पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा।
- शासनादेश संख्या-562/71-1-2020-जी-63/2008 दिनांक 10.06.2020 के प्रस्तर-2 के अनुसार संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष तथा सह-आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी। एन0एम0सी0 द्वारा निर्गत **TEACHERS ELIGIBILITY QUALIFICATIONS IN MEDICAL INSTITUTIONS REGULATIONS, 2025** के प्रस्तर-4 के अनुसार चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु 70 वर्ष मान्य होगी। एन0एम0सी0 मानकों के अनुसार सीनियर रेजीडेन्ट पद हेतु प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु 45 वर्ष से कम होनी चाहिए।

03. एन0एम0सी मानकों के अनुसार सहायक-आचार्य पद के लिए सम्बन्धित विशिष्टता में 01 वर्ष का एस0आर0/ट्यूटर अथवा एन0एम0सी मानकों के अनुरूप अनुभव होना अनिवार्य है।
04. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को एन0एम0सी0 मानकों के अनुरूप बायोमैट्रिक उपस्थिति लगाना अनिवार्य होगा।
05. चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उ0प्र0 राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा नियमावली (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2005 में निहित व्यवस्था के अनुसार होना आवश्यक है।
06. चयनित चिकित्सा शिक्षक ओ.पी.डी., चिकित्सालय समयावधि/कॉल डे में प्राईवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे एवं महाविद्यालय (शिक्षण-प्रशिक्षण) के सामान्य कार्यावधि में भी प्राईवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
07. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को प्राईवेट प्रैक्टिस करने का स्थान एवं समय निर्दिष्ट करना होगा।
08. कोई भी चिकित्सा शिक्षक मरीजों को प्राईवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
09. प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कॉलेज में गम्भीर मरीज/आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
10. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी भी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे।
11. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेंगी एवं सेवा सतोषजनक न पाये जाने पर एक माह का नोटिस देकर समाप्त की जा सकती है।
12. चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल 01 वर्ष का होगा एक वर्ष की संतोषजनक सेवाओं के पश्चात उ0प्र0 शासन के शासनादेशों के अनुरूप ही अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
13. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए आवश्यक होगा कि वह करार के 15 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ को तत्काल भेजी जायेगी।
14. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी भी प्रकार के पेंशन संबंधी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिए बोनस देय नहीं होगा।
15. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष और किसी भी समय एक माह की सूचना या उसके बदले एक माह का वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
16. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जिसे करार या अनुबंध में विनिर्दिष्ट की जायें। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षक द्वारा अनुबंध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जाएगा कि भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
17. साक्षात्कार के समय अम्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरुद्ध मा0 न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है और यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेंगी।
18. उक्त रिक्त पदों पर राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर में गठित चयन समिति की संस्तुति के आधार पर चयन किया जायेगा।
19. उ0प्र0 शासन कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-5/2019/4/1/2002/का-2/2019टी.सी.1 लखनऊ दिनांक 13 अगस्त, 2019 के अनुसार शासन से अद्यतन निर्गत 100 बिन्दु के रोस्टर के अनुसार आरक्षण लागू होगा।
20. नियुक्ति सम्बन्धी शर्तें कॉलेज की वेबसाइट www.smmhmedicalcollege.in पर उपलब्ध रहेंगी। अतः इच्छुक अभ्यर्थी ईमेल smedicalcollegeab@gmail.com पर अपना आवेदन कार्यालय में साक्षात्कार से 01 दिवस पूर्व तक भेज सकते हैं।
21. पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घट-बढ़ सकती है।
22. साक्षात्कार हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

प्रधानाचार्य
राजकीय मेडिकल कॉलेज
सहारनपुर (यू०पी०)
तद दिनांक।

संख्या-रा०मे०का०स०/विज्ञप्ति-संविदा चि०शि०/2026/ई०सी०-1/3752
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षक अनुभाग-1 लखनऊ।
2. महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण जवाहर भवन लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को महानिदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सहारनपुर।
4. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त सूचना को अपने नोटिस बोर्ड पर चरपा करने का कष्ट करें।
5. प्रभारी अधिकारी-वेबसाइट, राजकीय मेडिकल कॉलेज, सहारनपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को कॉलेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
6. समस्त सदस्य चयन समिति, राजकीय मेडिकल कॉलेज, सहारनपुर।
7. नोटिस बोर्ड/सूचना पट्ट हेतु।

प्रधानाचार्य
राजकीय मेडिकल कॉलेज
सहारनपुर (यू०पी०)